न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

प्रार्थना-पत्र सं.	धाराअंतर्गत	ग्राम	तहसील
/24	136 LR Act	उल्थी	बारां

प्रार्थी	वाद शीर्षक	अप्रार्थी
सीता बाई	बनाम	राजस्थान सरकार

वकील :-	श्री गजेन्द्र कुमार नागर एड0	आदेश पत्रक	वकीलः-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
25.10.2024	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी के न्याया0 में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 30/12/24 को पेश हो।	
30-12-24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं पटवारी गिरदावर उप0। पटवारी गिरदावर से रिपोर्ट / जवाब अप्राप्त। पत्रावली वास्ते रिपोर्ट / जवाब दिनांक 17-2-25 को पेश हो।	
17-2-25	पीठासीन अधिकारी अवकाश में रहने से पूर्ववत दिनांक 16-4-25 को प्रस्तुत हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां	
16-4-25	पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त में रहने से पूर्ववत दिनांक 7-5-25 को प्रस्तुत हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां	
7-5-25	पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त में रहने से पूर्ववत दिनांक 13-5-25 को प्रस्तुत हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां	
13-5-25	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। TDR बाबत से रिपोर्ट अप्राप्त। TDR बाबत को पुनः लिखा जावे। पत्रावली वास्ते TDR रिपोर्ट दिनांक 20-6-25 को पेश हो।	

4

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश
20-6-25	पत्रावली पेश हुई। तहसील आख्या प्राप्त नहीं पेशकार तहसीलदार बारां / TDR बारां से रिपोर्ट अप्राप्त। पत्रावली तहसीलदार रिपोर्ट के दिनांक 23-7-25 को पेश हो।
23-7-25	पीठासीन अधिकारी अवकाश पर रहने से पूर्ववत दिनांक 26-9-25 को प्रस्तुत हो. उप खण्ड अधिकारी बारां
26/9/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व पेशकार तहसीलदार बारां के रिपोर्ट प्राप्त हो संलग्न पत्रावली है। प्रार्थी व पेशकार को सुनी गयी प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया गया है। बहस प्रार्थना पत्र वकील गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया गया। निर्णय की प्रति पालना हेतु तहसीलदार बारां को भिजवाई जावे। पत्रावली नियत समय बाद रिकॉर्ड अभिलेखागार में जमा करावें। सुनाया गया। उप खण्ड अधिकारी बारां

निर्णय व इजलास श्री विश्वजीत सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 23 / 24
दायरा दिनांक :- 25.10.2024
निर्णय दिनांक :- 26/9/25

उनवान

1. सीता बाई आयु 63 वर्ष पुत्री श्री पन्नालाल पत्नि मगाराम जाति मेघवाल निवासी उत्थी तहसील व जिला बारां, हाल निवासी किशनगंज तह0 किशनगंज जिला बारां राज0

प्रार्थीया

बनाम

2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार साहब, बारां जिला बारां (राज0)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

निर्णय दिनांक :- 26/9/25

अभिभाषक उपस्थित :- 1. श्री गजेन्द्र नागर एडवोकेट प्रार्थीया
2. पेरोकार सरकार अप्रार्थी

प्रार्थीय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट राजस्व रिकार्ड नाम दुरुस्ती हेतु अप्रार्थी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीया के शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी वाके ग्राम उल्थी तहसील जिला बारां राज० मे आराजी खाता सं० नया 112 पुराना 112 से खसरा नं0 146 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नं0 147 रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा नं0 164 रकबा 0.49 हैक्टर, खसरा नं0 166 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नं0 169 रकबा 0.60 हैक्टर, खसरा नं० 170 रकबा 0.61 हैक्टर, खसरा नं0 171 रकबा 0.51 हैक्टर, खसरा नं0 257 रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नं0 258 रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नं0 259 रकबा 0.45 हैक्टर, खसरा नं0 260 रकबा 0.32 हैक्टर, खसरा नं0 323 रकबा 0.63 हैक्टर, खसरा नं0 328 रकबा 0.56 हैक्टर, खसरा नं० 329 रकबा 0.60 हैक्टर, खसरा नं0 330 रकबा 0.65 हैक्टर, खसरा नं0 49 रकबा 0.18 हैक्टर कुल किता 16 रकबा 6.52 हैक्टर स्थित है। जो राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया एंव अन्य सहखातेदारान की संयुक्त खातेदारी में अंकित है। उक्त आराजीयात में प्रार्थीया का 1/8 हिस्सा अंकित है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजियात राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम सीता बाई पुत्री पन्ना के स्थान पर सहवन से छीता पुत्री पन्ना गलत दर्ज हो गया है। जबकि प्रार्थीया का वास्तविक नाम सीता बाई पुत्री पन्ना है, जो प्रार्थीया के आधार कार्ड, राशन कार्ड बैंक डायरी एंव अन्य दस्तावेजो में अंकित है। मद नं0 1 में वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम सीता बाई पुत्री पन्ना के स्थान पर सहवन से छीता पुत्री पन्ना गलत दर्ज होने से प्रार्थीया अपने हिस्से की उक्त आराजी

उप खण्ड अधिकारी
बारां

र के.सी.सी. बनवाने व सरकारी लाभ प्राप्त करने से वंचित हो रही है। बैंक द्वारा प्रार्थीया
का नाम आधार कार्ड, राशन कार्ड मे मिलान न होने से के.सी.सी. बनाने से साफ इन्कार
कर दिया है। इस कारण प्रार्थीया को काफी परेशानियो का सामना करना पड रहा है।
इसलिये प्रार्थीया प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में अंकित आराजियात के राजस्व रिकार्ड में
प्रार्थीया अपना नाम छीता पुत्री पन्ना के स्थान पर अपना सही नाम सीता बाई पुत्री पन्ना
दर्ज करवा पाने की वैधानिक अधिकारी व नालिशी है। प्रार्थीया द्वारा कई बार राजस्व
कर्मचारियो से उसका नाम दुरूस्त करने का निवेदन किया। अंतिम बार दिनांक 12.09.
2024 को प्रार्थीया द्वारा राजस्व कर्मचारियो/अधिकारियो से निवेदन किया। किन्तु प्रार्थीया
का नाम राजस्व रिकार्ड में छीता पुत्री पन्ना के स्थान पर सही नाम सीता बाई पुत्री पन्ना
दर्ज करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। इसलिये आवेदन का कारण दिनांक 12.09.2024 को
बांरा तहसील क्षेत्र में पैदा हुआ। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का
प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया के पक्ष में अप्रार्थी के विरूद्ध निम्न आदेश
फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में अंकित आराजियात राजस्व रिकार्ड मे
जमाबन्दी मे प्रार्थीया का नाम छीता पुत्री पन्ना के स्थान पर दुरुस्त कर सही नाम सीता
बाई पुत्री पन्ना दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम उल्थी सम्वत 2072–75, खाता संख्या नया 112, पुराना खाता संख्या 112, नकल जमाबन्दी ग्राम उल्थी सम्वत 2072–75, खाता संख्या नया 112, पुराना खाता संख्या 112, नकल जमाबन्दी ग्राम उल्थी सम्वत 2072–75, खाता संख्या नया 16, पुराना खाता संख्या 12, आधार कार्ड, तस्दीक प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत किशनगंज दिनांक 06.09.2023, जनआधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेंशनर कार्ड, बैंक पासबुक, पेन कार्ड सीता बाई, नकल इंतकाल नामा0 संख्या 102 सीता बाई, राशनकार्ड भंवरलाल, पेश किया।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गयी। बहस के दौरान प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र के अंकित तथ्यो को दोहराया गया प्रार्थीया का कथन है कि प्रार्थीया के शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी वाके ग्राम उल्थी तहसील जिला बांरा राज० मे आराजी खाता सं० नया 112 पुराना 112 से खसरा नं0 146 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नं0 147 रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा नं0 164 रकबा 0.49 हैक्टर, खसरा नं0 166 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नं0 169 रकबा 0.60 हैक्टर, खसरा नं० 170 रकबा 0.61 हैक्टर, खसरा नं0 171 रकबा 0.51 हैक्टर, खसरा नं0 257 रकबा 0.27 हेक्टर, खसरा नं0 258 रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नं0 259 रकबा 0.45 हैक्टर, खसरा नं0 260 रकबा 0.32 हैक्टर, खसरा नं0 323 रकबा 0.63 हैक्टर, खसरा नं0 328 रकबा 0.56 हैक्टर, खसरा नं० 329 रकबा 0.60 हैक्टर, खसरा नं0 330 रकबा 0.65 हैक्टर, खसरा नं0 49 रकबा 0.18 हैक्टर कुल किता 16 रकबा 6.52 हैक्टर स्थित है। जो राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया एंव अन्य सहखातेदारान की संयुक्त खातेदारी में अंकित है। उक्त आराजीयात में प्रार्थीया का 1/8 हिस्सा अंकित है।

उप खण्ड अधिकारी
बारॉं

खसरा नं0 147 रकबा 0.28 हक्टर, खसरा नं0 164 रकबा 0.49 हैक्टर,

प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 मे वर्णित आराजियात राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम सीता बाई पुत्री पन्ना के स्थान पर सहवन से छीता पुत्री पन्ना गलत दर्ज हो गया है। जबकि प्रार्थीया का वास्तविक नाम सीता बाई पुत्री पन्ना है, जो प्रार्थीया के आधार कार्ड, राशन कार्ड बैंक डायरी एंव अन्य दस्तावेजो में अंकित है। मद नं0 1 में वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम सीता बाई पुत्री पन्ना के स्थान पर सहवन से छीता पुत्री पन्ना गलत दर्ज होने से प्रार्थीया अपने हिस्से की उक्त आराजी पर के.सी.सी. बनवाने व सरकारी लाभ प्राप्त करने से वंचित हो रही है। बैंक द्वारा प्रार्थीया का नाम आधार कार्ड, राशन कार्ड मे मिलान न होने से के.सी.सी. बनाने से साफ इन्कार कर दिया है। इस कारण प्रार्थीया को काफी परेशानियो का सामना करना पड रहा है। इसलिये प्रार्थीया प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में अंकित आराजियात के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया अपना नाम छीता पुत्री पन्ना के स्थान पर अपना सही नाम सीता बाई पुत्री पन्ना दर्ज करवा पाने की वैधानिक अधिकारी व नालिशी है। प्रार्थीया द्वारा कई बार राजस्व कर्मचारियो से उसका नाम दुरुस्त करने का निवेदन किया। अंतिम बार दिनांक 12.09.2024 को प्रार्थीया द्वारा राजस्व कर्मचारियो/अधिकारियो से निवेदन किया। किन्तु प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में छीता पुत्री पन्ना के स्थान पर सही नाम सीता बाई पुत्री पन्ना दर्ज करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। इसलिये आवेदन का कारण दिनांक 12.09.2024 को बांरा तहसील क्षेत्र में पैदा हुआ। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया के पक्ष में अप्रार्थी के विरुद्ध निम्न आदेश फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में अंकित आराजियात राजस्व रिकार्ड मे जमाबन्दी मे प्रार्थीया का नाम छीता पुत्री पन्ना के स्थान पर दुरुस्त कर सही नाम सीता बाई पुत्री पन्ना दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गयी। पत्रावली एव रिकार्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, बारां द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मुताबिक जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड पटवार मण्डल कोटडीसूण्डा के राजस्व ग्राम उल्थी के खाता संख्या 112 खसरा नं0 146 किता 16 रकबा 6.52 हे0 में क्र0 सं0 5 पर छीता पुत्री पन्ना हि0 1/8 जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। परिवादी (खातेदार) का नाम राजस्व रिकार्ड में नामा0 संख्या 102 (विरासत) से दर्ज हुआ था। परिवादी के पिता की मृत्यु उपरान्त फौती नामा0 के जरिये छीता पुत्री पन्ना दर्ज हुआ था। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, सभी में नाम सीता बाई पत्नी गंगाराम दर्ज है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत पहचान दस्तावेज पेन कार्ड में प्रार्थीया का नाम सीता बाई पुत्री पन्ना दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में भी स्वयं का नाम सीता बाई पुत्री पन्ना पत्नी गंगाराम बताया है। सहखातेदारान कमला बाई पुत्री गोपाल, किशनलाल पुत्र गोरधन, गायत्री पुत्री शंकर, प्रतापी पुत्री गोपाल, मुकेश पुत्र लालचंद, रामप्रताप पुत्र गोपाल जाति मेघवाल द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में प्रार्थीया का नाम सीता बाई बताया गया है। ग्रामवासियान द्वारा जानकारी करने पर प्रार्थीया का नाम सीता बाई पुत्री पन्ना बताया है।

उप खण्ड अधिकारी
बारां

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत किये गये पहचान दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, वोटर 10 कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, शपथ पत्र एवं सहखातादारान द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं ग्रामवासियान द्वारा जानकारी करने पर प्रार्थीया का नाम राजस्व ग्राम उल्थी की जमाबन्दी के खाता संख्या 112 खसरा नं0 146 किता 16 रकबा 6.52 हे0 पर छीता पुत्री पन्ना हि0 1/8 के स्थान पर सीता बाई पुत्री पन्ना हि0 1/8, दर्ज तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम उल्थी की आराजियात वर्तमान खाता संख्या नया 112, पुराना खाता संख्या 112, कुल किता 16 रकबा 6.52 हे0, ग्राम उल्थी तहसील व जिला बारां की आराजियात में प्रार्थीया का नाम छीता पुत्री पन्ना के स्थान पर सीता बाई पुत्री पन्ना दर्ज करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वजीत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां
उप खण्ड अधिकारी
बाराँ